(47)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 32–चार/1987 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–11–1986 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, प्रकरण कमांक 282/अपील/1978–79.

.....

हीरालाल पिता सरदारमल डांगी (मृत वारिसान :–)
निवासी गांधी चौक तहसील बड़नगर जिला उज्जैन
1–बाबूलाल पुत्र हीरालाल
2–सोहनलाल पुत्र हीरालाल
3–अरूणकुमार पुत्र हीरालाल
4–पुखराज देवी पुत्री हीरालाल
5–शान्तादेवी पुत्री हीरालाल
6–शशिदेवी पुत्री हीरालाल
निवासी गांधी चौक तहसील बड़नगर जिला उज्जैन

..... आवेदक

विरूद्ध

सजनसिंह आत्मज गुलाब सिंह राजपूत
निवासी ग्राम भेसला कला तहसील बडनगर
जिला उज्जैन

.....अनावेदक

.....

श्री पी0के0गुप्ता, अभिभाषक– आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/10/12 ~~को~~ पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–11–1986 के विरूद्ध इस ~~न्यायालय~~ में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य. सन्क्षेप में इस प्रकार है कि हीरालाल द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल तक प्रकरण प्रचलित रहा और राजस्व मण्डल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण पुनः गुणदोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी दिनांक 17–4–1979 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 27–11–1986 के आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ प्रकरण दिनांक 21–7–2017 को अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इस निर्देश के साथ प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अधिवक्ता 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों उल्लिखित आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) जमींदारी समाप्ति विधान दिनांक 25–6–1951 को प्रभावशील नहीं हुई, बल्कि 2–10–1951 को प्रभावशील हुई है जिसकी धारा 38(2) के अन्तर्गत सिकमी से पक्के कृषक के स्वत्व प्राप्त होने से आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व प्राप्त हो गये हैं ।

(2) आवेदक द्वारा बालिग होने पर दिनांक 3–7–1957 को तहसील न्यायालय में मुआवजा जमा किया गया है इसलिये वह माल प्रबंध विधान की धारा 74 अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के सूचना तामीली हेतु भेजी जाने पर उनकी मृत्यु होने तथा कोई वारिस न होने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक की मृत्यु हो चुकी है और उसके कोई वारिस नहीं है । आवेदक ने भी इस संबंध में कोई पहल नहीं की है । अतः यह निगरानी अवेट हो जाने से समाप्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर